



कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज.)



क्रमांक: ननिको(उ)/गैरीज/2024/524-537

दिनांक :- 6/11/24

ई-निविदा सूचना

नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा नगर निगम कोटा उत्तर के वाहनों के लिए वाहन चालक एवं हेल्पर व कनिष्ठ तकनीकी सहायक उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम कोटा उत्तर में निर्धारित प्रपत्र में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से वेब साईट <http://sppp.rajasthan.gov.in> व eproc.rajasthan.gov.in, www.kotamc.org पर ऑनलाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

| क्र.स. | विवरण | दिनांक |
|--------|---|----------------------------|
| 1. | निविदा डाउनलोड करने की तिथि | 11.11.2024 11 AM |
| 2. | निविदा अपलोड करने की तिथि | 25.11.2024 6 PM |
| 3. | धरोहर राशि/निविदा शुल्क/प्रोसेसिंग फीस ऑनलाईन निगम की वेबसाईट www.kotamc.org पर जमा कराने की तिथि | 26.11.2024 12 PM |
| 4. | निविदा/तकनीकी बिड खोलने की तिथि | 26.11.2024 2 PM |
| 5. | वित्तीय बिड खोलने की तिथि | तकनीकी बिड परीक्षण पश्चात् |
| 6. | प्री-बिड मीटिंग (गैराज अनुभाग प्रात 11:00 बजे) | 14.11.2024 |

| क्र.स. | कार्य का नाम | राशि (लाखों में) | धरोहर राशि (2%) | प्रोसेसिंग फीस | निविदा शुल्क | कार्य अवधि |
|--------|---|------------------|-----------------|----------------|--------------|------------|
| 1. | नगर निगम कोटा उत्तर में वाहन चालक आपूर्ति कार्य। | 58.45 | 116900.00 | 1500.00 | 3500.00 | 01 वर्ष |
| 2. | नगर निगम कोटा उत्तर में हेल्पर आपूर्ति कार्य। | 56.18 | 112360.00 | 1500.00 | 3500.00 | 01 वर्ष |
| 3. | नगर निगम कोटा उत्तर में कनिष्ठ तकनीकी सहायक आपूर्ति कार्य। (डिप्लोमाधारी) | 3.27 | 16350.00 | 500.00 | 500.00 | 01 वर्ष |

- निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण <https://eproc.rajasthan.gov.in>, <http://sppp.rajasthan.gov.in>, www.kotamc.org पर देखा जा सकता है। (सभी का कार्यों का प्रोसेसिंग फीस, धरोहर राशि एवं निविदा शुल्क पृथक-पृथक से देय होगा।)
- जो वित्तीय बिड में असफल संवेदक होगा उसकी धरोहर राशि वापस की जावेगी।

क्रमांक :- ननिको(उ)/गैरीज/2024/524-537

प्रतिलिपि :-

- श्रीमान् महापौर महोदया, नगर निगम कोटा उत्तर।
- श्रीमान् उप-महापौर महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
- श्रीमान् नेता प्रतिपक्ष महोदय, नगर निगम कोटा उत्तर।
- अति० आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर।
- उपायुक्त नगर निगम कोटा उत्तर।
- अधीक्षण अभियन्ता नगर निगम कोटा उत्तर।
- मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम कोटा उत्तर।
- अधिशायी अभियन्ता (गैराज) नगर निगम कोटा उत्तर।
- सहायक अभियन्ता (गैरीज) नगर निगम कोटा उत्तर।
- समस्त अनुभागाधिकारी, नगर निगम कोटा को सूचनार्थ।
- सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता (गैराज) नगर निगम कोटा
- पुस्तकालय अध्यक्ष को भेजकर लेख है, कि उक्त निविदा का प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में आज ही प्रकाशित करावें।
- अति० प्रशासनिक अधिकारी (सामान्य) नगर निगम कोटा उत्तर।
- सुरक्षित पत्रावली, नगर निगम कोटा।

आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर
दिनांक 6/11/24

आयुक्त
नगर निगम कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

नगर निगम कोटा उत्तर में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) उपलब्ध कराने हेतु निविदा की सामान्य शर्तें :-

1. कार्य की अवधि कार्यादेश जारी होने के दिनांक से 1 वर्ष तक मान्य होगी। कार्य संतोष जनक होने पर कार्य की अवधि परस्पर सहमति से नियमानुसार RTPP Act 2012 & नियम 2013 के अनुसार आगे बढ़ाई जा सकेंगी।
2. निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस नगर निगम कोटा उत्तर की वेबसाइट www.kotamc.org पर जमा करवाकर उसकी रसीद ऑनलाईन तकनीकी बिड में प्रस्तुत करनी होगी। इसके अभाव में संवेदक असफल माना जायेगा।
3. निगम द्वारा आवश्यकतानुसार कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) की संख्या घटाई व बढ़ाई जा सकती है।
4. निविदादाता/संवेदक द्वारा विभिन्न पंजीकरण इत्यादि का विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किया जायेगा।

| क्र.स. | विवरण | रजि.सं. | वर्ष | पंजीकरण दिनांक | सलग्नक क्रमांक |
|--------|---|---------|------|----------------|----------------|
| 1 | राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 | | | | |
| 2 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | | | | |
| 3 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | | | | |
| 4 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) | | | | |
| 5 | आयकर (पैन नम्बर) | | | | |
| 6 | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत | | | | |
| 7 | संवेदक को विगत एक वर्ष में स्वयं की फर्म डी-बार/ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित (50/- रू0 नॉन ज्यूडिशियल) | | | | |
| 8 | संवेदक का नगर निगम, कोटा के किसी भी मेयर/पार्षद/ अधिकारी /कर्मचारी के परिवार से रक्त संबंध नहीं होने का शपथ-पत्र नोटेरी प्रमाणित। (50/- रू0 नॉन ज्यूडिशियल) | | | | |
| 9 | वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 वर्षों का औसत 1.10 लाख वार्षिक कारोबार का C. A. से टर्न ऑवर | | | | |

24

| | | | | |
|---|--|--|--|--|
| प्रमाण पत्र, C. A. से प्रमाणित बेलेन्स शीट वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, I.T.R. वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, C. A. से प्रमाणित Profit & Loss खाता वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 | | | | |
|---|--|--|--|--|

5. न्यूनतम मजदूरी/पी.एफ./ई.एस.आई व अन्य राजकीय अधिनियम की पालना सुनिश्चित किये जाने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
6. संवेदक द्वारा पी.एफ, ई.एस.आई बैंक खाता जमा की प्रतिलिपि जमा कराने के पश्चात् जमा के चालान प्रस्तुत करने पर (मय सूची) पुर्नभरण भुगतान किया जाएगा।
7. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
8. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने के लिए अर्हत होंगे। पंजीकरण प्रमाण-पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ संबंधित उपापन संस्था को प्रस्तुत की जायेगी।
9. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 लागू नहीं होने की स्थिति में निविदादाता शपथ-पत्र दिया जाना अनिवार्य हैं, जिसमें स्पष्ट लिखा हो कि इस निविदा में उक्त अधिनियम लागू नहीं होता है तथा भविष्य में लागू होने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। शपथ-पत्र नहीं दिये जाने पर निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
10. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खाते में ही किया जायेगा। संबंधित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि का विवरण संबंधित उपापन संस्था को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राशि के विवरण बाबत उपापन संस्था की संतुष्टी होने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।
11. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व संबंधित संवेदक का होगा।
12. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय-समय पर वृद्धि होने पर उपापन संस्था द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राशि का भुगतान किया जा सकेगा।
13. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई जमा कराना होगा जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौति एवं और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की

24

पुष्टि से संबंधित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

14. राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई की राशि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।
15. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की ही होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (GST) के चालान की प्रति आगामी माह के बिल के साथ अनिवार्य रूप से सलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (GST) की राशि जमा कराने के प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के सम्बंध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्व के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
16. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा-निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं दिशा-निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों /दायित्वों के लिए संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
17. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबंधकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए उपापन संस्था का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 एवं राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मुलन) अधिनियम, 1970 का उचित प्रकार से तथा निष्ठा-पूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।
18. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिए जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने कार्यमुक्त करने नोटिस वेतन छटनी मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।
19. कार्य संपादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/सन्दर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई.करवाने/सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए उपापन संस्था की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
20. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की शिकायत उपापन संस्था को प्राप्त होती है तो उपापन संस्था इस सम्बंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवश्यक होने की स्थिति में संवेदक को **Debar** कराने की कार्यवाही करेगी।

24

21. यदि किसी संस्था द्वारा कार्य की विशिष्ट प्रकृति के मद्देनजर किसी निर्धारित प्रतिशत में कोई अतिरिक्त राशि मानव संसाधन हेतु स्वीकृति करा रखी हो तो उक्त अतिरिक्त राशि को न्यूनतम मजदूरी में सम्मिलित नहीं करते हुए इसे पृथक से भुगतान हेतु अंकित किया जायेगा।
22. सफल संवेदक को निविदा प्रपत्र में अनुमानित राशि की 3 प्रतिशत राशि कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में जमा कराया जाना आवश्यक है।
23. सफल निविदादाता को उपलब्ध कराये जाने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) के पहचान सम्बन्धी दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे।
24. निविदा की धरोहर राशि व निविदा शुल्क का डी.डी./बैंकर्स चैक दोनों आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण के नाम से ऑनलाईन निविदा फार्म विक्रय/डाउनलोड एवं अपलोड करने की अंतिम तिथि तक का ही स्वीकार्य होगा। अंतिम तिथि के बाद का डी.डी. मान्य नहीं होगा।
25. यदि किसी कारणवश निविदा खोले जाने की दिनांक को अवकाश रहता है तो अगले दिन उसी समय व उसी स्थान पर निविदा खोली जायेगी।
26. निविदा खोलने की तिथि को किसी कारण वश यदि सारी निविदाएं नहीं खोली जा सकती है तो उसके अगले कार्यदिवस शेष निविदाएं खोलने का कार्य जारी रखा जायेगा।
27. उपलब्ध कराये जाने वाले कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) के पास न्यूनतम 01 वर्ष का संबंधित कार्य का सरकारी/अर्द्धसरकारी/निजी संस्थान में अनुभव होना चाहिए। जिसके प्रमाण स्वरूप अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बिना अनुभव वाले किसी भी व्यक्ति को कार्य पर नहीं लिया जाएगा।
28. सफल संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आदि के कार्य/लापरवाही से किसी को भी किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति या मृत्यु होती है तो उसकी की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
29. सफल संवेदक द्वारा उपलब्ध कराये कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आदि के कार्य/लापरवाही से निजी /सार्वजनिक /सरकारी सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति की समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
30. सफल संवेदक को कार्यादेश देने पर दी गई समय सीमा में अपेक्षित संख्या में कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आदि उपलब्ध करवाने होंगे। कार्य सम्पादन के दौरान किसी कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आदि को कोई शारीरिक क्षति या मृत्यु होती है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी संवेदक की होगी।
31. संवेदक द्वारा निगम की मांग अनुसार लगाये गये कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आदि के अनुपस्थित रहने पर उसी अनुपात में बिल में से कटौती की जाएगी तथा प्रति व्यक्ति प्रति दिवस 200/- ₹0 की शास्ति पृथक से आरोपित की जावेगी। किसी भी प्रकार की कार्य में लापरवाही/कोटाही पाये जाने पर नियमानुसार शास्ति आरोपित की जायेगी।

2

32. नगर निगम द्वारा निर्देशित किये जाने पर 24 घण्टे के भीतर कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) उपलब्ध कराने होंगे। उपलब्ध नहीं कराने पर नगर निगम अपने स्तर पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आदि की व्यवस्था करने को स्वतंत्र होगा तथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आदि का भुगतान संवेदक के द्वारा किया जायेगा।
33. किसी बिन्दु पर विवाद होने पर आयुक्त नगर निगम कोटा दक्षिण का निर्णय अंतिम होगा। विवादों के लिये न्याय क्षेत्र कोटा होगा।
34. कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) का भुगतान संबंधित प्रभारी अधिकारी द्वारा किये गये प्रमाणीकरण के आधार पर किया जावेगा।
35. संवेदक को कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आपूर्ति बिल माह के प्रथम सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। माह के प्रथम सप्ताह में बिल प्रस्तुत नहीं किये जाने पर राशि 5000/- ₹0 प्रति माह शास्ती आरोपित की जावेगी।
36. कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) को समय पर मजदूरी भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित संवेदक की होगी। समय पर मजदूरी भुगतान नहीं करने पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी। निगम द्वारा संवेदक को भुगतान तथा संवेदक द्वारा कनिष्ठ तकनीकी सहायक को भुगतान का आपस में कोई संबंध नहीं होगा।
37. निविदादाता द्वारा गलत सूचना दिये जाने पर निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त किये जाने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को होगा।
38. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये अस्वीकृत/स्वीकृत करने का अधिकार आयुक्त नगर निगम कोटा उत्तर को होगा।
39. संवेदक को निविदा में मांगे गये सभी दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर संवेदक की तकनीकी बिड को निरस्त माना जावेगा।
40. संवेदक द्वारा प्रस्तुत तकनीकी बिड परीक्षण के पश्चात सफल होने पर संवेदक की वित्तीय बिड खोली जावेगी।
41. संवेदक द्वारा लिफाफे पर फर्म का नाम, पता, कार्य का नाम, निविदा सूचना आदि अंकित कर लिफाफे के अन्दर निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
42. संवेदकों की दर समान प्राप्त होने पर निर्णय सम्पूर्ण पारदर्शिता को अपनाते हुए लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।
43. ठेका अवधि में यदि न्यूनतम मजदूरी की दरों में परिवर्तन होता है तो परिवर्तित राशि के अनुसार टेण्डर में भुगतान निगम द्वारा किया जाएगा।
44. संवेदक को बिड स्वीकृत होने पर नियमानुसार स्टाम्प पर स्वयं के खर्च पर बिड स्वीकृति तिथि के अन्दर 7 योम में अनुबन्ध करना होगा।

4

45. धरोहर राशि निम्न मामलों में जब्त करली जाएगी।
- A. जब कार्य आदेश देने के बावजूद उल्लेखित समयावधि में कार्य आरम्भ करने में संवेदक असमर्थ रहता है।
- B. बिडदाता निर्धारित अवधि में करार को सम्पादित नहीं करता है।
- C. जब बिडदाता बिड खोलने के बाद किन्तु बिड के स्वीकार करने से पूर्व प्रस्ताव वापस ले लेता है।
- D. बिड की शर्तों की पालना नहीं करता है।
46. संवेदक द्वारा निविदा के समस्त पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर लगाकर करने होंगे।
47. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के सभी प्रावधान लागू होंगे एवं GF & AR भी। विरोधाभास होने पर RTPP सर्वोपरी होगा।
48. लेबर लाईसेन्स नहीं होने पर संवेदक को कार्यादेश जारी होने के एक माह में प्रस्तुत करना होगा अन्यथा रिस्क एण्ड कोस्ट के आधार पर कार्यवाही होगी।
49. संवेदक को कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) निगम को मांग अनुसार किसी भी परिस्थिति, रात्रि के समय, आपातकालीन सप्ताह की किसी भी दिन, राजकीय अवकाश व पर्व पर उपलब्ध कराने होंगे।
50. संवेदक को कार्य बन्द अथवा हडताल करने से 15 दिवस पूर्व आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित में आवेदन करना होगा अन्यथा कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) कार्य का सामुहिक कार्य बन्द करने की स्थिति में प्रतिदिन 10 दिवस की शास्ती आरोपित की जा सकेगी।
51. सभी कार्मिक को टाईम कीपर/सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/अधिशाषी अभियन्ता के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही की जाने पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
52. संवेदक द्वारा वित्तीय बिड (BOQ) में न्यूनतम मजदूरी का 5 प्रतिशत या उससे अधिक निकाल कर ही राशि अंकित करे। 5 प्रतिशत (न्यूनतम मजदूरी की गणना करने के पश्चात्) से कम संवेदक का लाभ स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अभाव में संवेदक को लॉटरी में शामिल नहीं किया जाएगा।

नाम :- (संवेदक)

फर्म का नाम :-

पता :-

हस्ताक्षर संवेदक मय मोहर


आयुक्त

नगर निगम कोटा उत्तर



कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर

15
FEDERAL GOVERNMENT OF INDIA

तकनीकी निविदा प्रपत्र

कार्य का नाम : नगर निगम कोटा उत्तर में गैरीज अनुभाग में संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) **मेकेनिकल**
आपूर्ति कार्य।

| क्र.सं. | तकनीकी बिड के साथ निम्न दस्तावेज जो संलग्न करने है। | संलग्न हां/नहीं | संलग्न पेज सं० |
|---------|--|-----------------|----------------|
| 1 | निविदा शुल्क, धरोहर राशि एवं प्रोसेसिंग फीस के भुगतान निगम की वेबसाईट www.kotamc.org पर जाकर जमा करानी होगी। | | |
| 2 | निवास के लिये उपरोक्त में से कोई एक (आधार कार्ड/ड्राईविंग लाईसेन्स/मतदाता परिचय पत्र की स्वप्रमाणित प्रति। | | |
| 3 | वस्तु एवं सेवा कर (GST) | | |
| 4 | आयकर (पैन नम्बर) | | |
| 5 | संवदेक को विगत एक वर्ष में स्वयं की फर्म डी-बार/ब्लैक लिस्ट न होने का शपथ पत्र नोटेरी प्रमाणित (50/- रू० नॉन ज्यूडिशियल) | | |
| 6 | संवदेक का नगर निगम, कोटा के किसी भी मेयर/पार्षद/ अधिकारी /कर्मचारी के परिवार से रक्त संबंध नहीं होने का शपथ-पत्र नोटेरी प्रमाणित। (50/- रू० नॉन ज्यूडिशियल) | | |
| 7 | संवदेक द्वारा निविदा के समस्त पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय मोहर लगाकर करने होंगे। | | |
| 8 | राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 | | |
| 9 | कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952 | | |
| 10 | कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 | | |
| 11 | राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत | | |
| 12 | वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 वर्षों का औसत 1.10 लाख वार्षिक कारोबार का C. A. से टर्न ऑवर प्रमाण पत्र, C. A. से प्रमाणित बेलेन्स शीट वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, I.T.R. वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, C. A. से प्रमाणित Profit & Loss खाता वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23 | | |

हस्ताक्षर संवेदक

अधिशाषी अभियंता
नगर निगम, कोटा उत्तर

आयुक्त
नगर निगम, कोटा उत्तर

कार्यालय नगर निगम कोटा उत्तर (राज0)

—: वित्तीय बिड :-

कार्य का नाम :- कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) आपूर्ति कार्य।

कार्य की अवधि :- 1 वर्ष

अनुमानित व्यय :- 3.27 लाख

संवेदक का नाम/पता :-

.....

.....

मोबाईल नं. :-

| श्रमिक | न्यूनतम मजदूरी दर प्रतिदिन प्रति कनिष्ठ तकनीकी सहायक (डिप्लोमाधारी) | ईपीएफ दर 13 प्रतिशत | ईएसआई दर 3.25 प्रतिशत | निविदादाता का सर्विस चार्ज न्यूनतम मजदूरी पर प्रतिदिन प्रति कनिष्ठ तकनीकी सहायक (5 प्रतिशत के कम स्वीकार नहीं) | कुल राशि (समस्त कर सहित) |
|--------|---|---------------------|-----------------------|--|--------------------------|
| 1 | रु. 400 | 52 | 13 | BOQ ----- में प्रस्तावित करें | |

मेरे द्वारा सलंगन शर्तों/निर्देशों को भली भांति अध्यन कर लिया गया है और में उक्त शर्तों पर कार्य करने में सहमत हूँ एवं समस्त शर्तों का पालन करूंगा/करूगी।

हस्ताक्षर व मोहर निविदादाता